

१०

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद,
संख्या: 12/ए-पीजीआई(कैशलेस इलाज)-2014, दिनांक: अप्रैल 15, 2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पुलिस।

विषय: संजय गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नियुक्त कर्मियों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में।

कृपया अवगत कराना है कि कभी-कभी गम्भीर रूप से बीमार पुलिस कर्मियों और उनके आश्रित संजय गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ में कैशलेस इलाज के आते हैं। उन्हें भर्ती होने पर कदाचित कठिनाई न उत्पन्न हो, इसके लिये वह सीधे थाना पी0जी0आई0, लखनऊ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ उनके सहायतार्थ निम्नलिखित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गयी है:-

1. निरीक्षक थाना पी0जी0आई0, लखनऊ सीयूजी नं0-945440-3876
2. उपनिरीक्षक श्री उमाशंकर शर्मा, मो0 नं0-9450419768
3. आरक्षी श्री मेवालाल, मो0 नं0- 9455379956

2- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण संबंधित मरीज का जिला/इकाई के अधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र देखकर पी0जी0आई0 में भर्ती कराने की कार्यवाही करायेंगे। जिससे उनके ईलाज में कोई विलम्ब न हो और अगले 24 घण्टे के अन्दर कैम्प कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक डा0 अरविन्द भूषण पाण्डेय, सी0यू0जी0 नं0- 945440-1952 या विशेष कार्याधिकारी श्रीमती परवीन आजाद, सी0यू0जी0 नं0- 945440-5211 से प्राधिकार पत्र सत्यापित करा लेंगे।

(डा0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।